प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1 **लखनऊ - दिनांक:** 28 **मार्च, 2024**

विषय - प्रदेश के कोषागारों में ई-पेमेण्ट लागू होने के फलस्वरूप आवश्यक निर्देश।

महोदय,

शासनादेश संख्या-2/2024/ए-1-30/दस-2024 दिनांक 06 मार्च, 2024 द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के माह मार्च में आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागारों में बिल प्रस्तुत करने के संबंध में दिशा निर्देश निर्गत किये गए हैं। उक्त शासनादेश में आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागारों में दिनांक 25 मार्च, 2024 तक बिल प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिए गए हैं।

2- शासन के संज्ञान में लाया गया है कि दिनांक 25 मार्च, 2024 को प्रदेश में होली का सार्वजनिक अवकाश तथा दिनांक 26 मार्च , 2024 को प्रदेश के कई जनपदों में स्थानीय अवकाश होने के कारण कई विभागों द्वारा समय से बिल कोषागारों में प्रस्तुत नहीं किये जा सके। दिनांक 29 मार्च, 2024 को प्रदेश में पुनः सार्वजनिक अवकाश है।

3- उपर्युक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरांत शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 28 एवं 30 मार्च , 2024 को कोषागारों द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारियों से सामान्य कार्य दिवस की अवधि में बिल स्वीकार किये जायेंगे। दिनांक 31 मार्च, 2024 को कोषागारों द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारियों से सायंकाल 5:00 तक बिल स्वीकार किये जायेंगे।

- - **2** - -

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- उपरोक्त निर्णय के फलस्वरूप दिनांक 31 मार्च, 2024 को आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागारों में बिल प्रस्तुत करने की समय-सीमा निम्नवत संशोधित समझी जाएगी :-

क्र.सं.	कार्यवाही	निर्धारित समय-सीमा
1	आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागारों में बिल प्रस्तुत किया जाना	17:00 बजे तक
2	कोषागार द्वारा ट्रांजेक्शन अप्रूवल	21:00 बजे तक

5- समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु अपने नियंत्रणाधीन समस्त विभागाध्यक्षों तथा आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें। उक्त का अनुपालन न करने तथा सामयिक आहरण के अभाव में किसी धनराशि के व्यपगत हो जाने पर सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-5/2024/ए-1- 48(1)/2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, 1018-जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से कि समस्त कोषागारों को उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु अपने स्तर से निर्देर्शित करने का कष्ट करें।
5- उप महाप्रबन्धक, एकीकृत बैंकिग विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, महात्मा गॉधी मार्ग, कानपुर 208001
6- सहायक महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, सरकारी व्यवसाय विभाग, स्थानीय प्रधान कार्यालय, मोती महल मार्ग, लखनऊ-226001
7- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

विवेक त्रिपाठी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in